सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 15, शुक्रवार, शाके 1944-अक्टूबर 07, 2022 *Asvina 15, Friday , Saka 1944- October 07, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, सितम्बर 23, 2022

एस.ओ.94 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.4(4)वित्त/कर/2022-14 दिनांक 02.08.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 02, 2022

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 49 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, किसी लिखत केरजिस्ट्रीकरण के समय ऐसी लिखत पर प्रभारित या संदत्त अधिक स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय के लिए, कलक्टर (स्टाम्प) को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

[सं.प.4(4)वित्त/कर/2022-14]
राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,
संयुक्त शासन सचिव"।

Government Central Press, Jaipur.